भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *47
जिसका उत्तर 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है।
4 श्रावण, 1946 (शक)

नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता

***47. श्री एस. निरंजन रेड्डी:**

क्या **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उभरती प्रौद्योगिकियों और बढ़ते खतरों को देखते हुए किसी नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति/रणनीति की आवश्यकता महसूस की है;

(ख) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों सहित वर्तमान और भविष्य की साइबर सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति/रणनीति तैयार करने और उसे लागू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल रखने के लिए समय-समय पर ऐसी नीतियों को संशोधित करने पर विचार किया है; और

(घ) एक नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति/रणनीति आरंभ करने और लागू करने के लिए समय-सीमा क्या है, और देश में एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इस नीति में किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ) : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति की आवश्यकता के संबंध में दिनांक 26.07.2024 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *47 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

*****

(क) से (घ) : जी, हां । सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भारत में इंटरनेट विशेष रूप से उभरती हुई प्रौद्योगिकियों और बढ़ते हुए खतरों की भूमिका को देखते हुए अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह है । सरकार ने देश में साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कई कानूनी, तकनीकी और प्रशासनिक नीतिगत उपाय किए हैं। सरकार ने देश में साइबर हमलों से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी एकीकृत और समन्वित प्रणाली भी स्थापित की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (एनएससीएस) के तहत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (एनसीएससी) ।

ii. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 70ख के प्रावधानों के तहत भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल (सर्ट-इन) को साइबर सुरक्षा घटनाओं का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में पदनामित किया गया है।

iii. सर्ट-इन द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) देश में साइबरस्पेस को स्कैन करने और साइबर सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करता है। एनसीसीसी साइबर सुरक्षा खतरों को कम करने के लिए कार्रवाई करने हेतु साइबर स्पेस से मेटाडेटा साझा करके विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है।

iv. साइबर स्वच्छता केंद्र (सीएसके) सर्ट-इन द्वारा प्रदान की जाने वाली नागरिक-केंद्रित सेवा है, जो स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण का साइबर स्पेस तक विस्तार करती है। साइबर स्वच्छता केंद्र बॉटनेट क्लीनिंग और मैलवेयर विश्लेषण केंद्र है और दुर्भावनापूर्ण प्रोग्रामों का पता लगाने में मदद करता है और उन्हें हटाने के लिए मुफ्त उपकरण प्रदान करता है, और नागरिकों और संगठनों के लिए साइबर सुरक्षा युक्तियां और सर्वोत्तम पद्धतियां भी प्रदान करता है।

v. गृह मंत्रालय (एमएचए) ने समन्वित और प्रभावी तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) बनाया है।

vi. सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 की धारा 70क के प्रावधानों के तहत सरकार ने देश में महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (एनसीआईआईपीसी) की स्थापना की है।

एमईआईटीवाई साइबर सुरक्षा में उभरती हुई और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से एआई के क्षेत्र में प्रमुख कठिनाइयों को अनुसंधान, विश्लेषण, निर्माण और उभरती हुई जरूरतों और चुनौतियों के आधार पर आवश्यक अनुदेशों और दिशा-निर्देशों को जारी करने की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से संबोधित करता है। प्राथमिक ध्यान राष्ट्रीय साइबर स्पेस को सुरक्षित करने, लोगों, प्रक्रियाओं और क्षमताओं से युक्त मौजूदा संरचनाओं को सुदृढ़ करने और देश में डिजिटल परिवेश की सुरक्षा के लिए उनके अनुकूलतम उपयोग के लिए संसाधनों को समन्वित करने और सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस सुनिश्चित करने के तीन स्तंभों पर केंद्रित है।

*****